

प्रेषक

उप श्रम आयुक्त,
सर्कल-2, गुरुग्राम।

प्रेषित

President

- 1 Industrial Association IMT Manesar,
Gurugram
- 2 Manesar Industrial Welfare Association IMT Manesar,
Gurugram
- 3 IDA, Sector 37,
Gurugram

क्रमांक ३३६-३४ दिनांक २३/२/२०२१

विषय

Regarding generation the Privaar Pechaan Patra (PPP) of all the workers employed in Industrial establishments in Haryana as directed by Worthy Labour Commissioner, Haryana through V C on dated 23-02-2021.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषय सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि माननीय हरियाणा सरकार ने हरियाणा में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए परिवार पहचान पत्र (PPP) अनिवार्य कर दिया है। हरियाणा के स्थाई एवं अस्थाई निवासियों को हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाओं एवं योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र बनवाने के उपरान्त ही दिया जायेगा।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप स्वयमं एवं अपने औद्योगिक प्रतिश्ठानों में कार्यरत सभी स्थाई, ठेका श्रमिक एवं अन्य सभी प्रकार के श्रमिकों का परिवार पहचान पत्र बनवाना सूनिश्चित करें। इसके लिए आप इस कार्यालय से सम्पर्क कर सभी प्रकार की जानकारी एवं सहायता प्राप्त कर सकतें हैं।

इसे अति आवश्यक समझे एवं इस कार्य को जल्द से जल्द पुरा करवायें।

उप श्रम आयुक्त,
सर्कल-2, गुरुग्राम।